

# समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

म0क0

/2019 पुर्नविलोकन

85

पुर्नविलोकन-0546/2019/राजगढ/भू-राज

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री बदीलाल गुप्ता निवासी खिलचीपुर  
जिला राजगढ म.प्र.
2. रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल गुप्ता निवासी रामगढ  
तहसील जीरापुर जिला राजगढ म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. सुरेश पुत्र हरी सिंह दांगी निवासी फतेहपुर तहसील खिलचीपुर  
जिला राजगढ म.प्र.
2. श्री नाथ पुत्र श्री गोकुल दांगी निवासी कुआखेडा तहसील  
खिचलीपुर जिला राजगढ म.प्र.

.....मूलअनावेदक

3. राधाबाई पत्नि मांगीलाल
4. दुर्गाप्रसाद पिता मांगीलाल
5. देवीलाल पिता गोरेलाल निवासीगण ग्राम गदियामेर  
तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म.प्र.
6. पूनमचंद पिता केशर निवासी हरिजन मोहल्ला खिलचीपुर

.....फोरमल

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत म0प्र0 भू-राज्य  
सहिता 1959 विरुद्ध पारित माननीय एस0एस0 अली सदस्य राजस्व  
मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी 1011/2018 में पारित  
आलोच्य आदेश दिनांक 15.04.2019 को पुर्नविलोकन करने वावत ।

माननीय महोदय ,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten notes and dates]*  
21/5/2019  
2019

*[Handwritten signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
16-5-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.4.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <p>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या</p> <p>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या</p> <p>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार।</p> <p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>